Assignment
For
B. Com and
B.B.A
By Mr. Abhishek kumar
Dept of commerce and BBA
D. K. College Dumraon

पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता

(iv) एक वैध अनुबंध का दुसरा आवश्यक लक्षण संबंधित पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना है, क्योंकि अनुबंध वैधानिक उत्तरदायित्व का निर्माण करता है। जिसे पुरा करने की क्षमता प्रत्येक पक्षकारों में होना आवश्यक है।
अनुबंध करने वाला पक्षकार ऐसा होना चाहिए जो अपना हीत, अहीत तथा अनुबंध का वैधानिक परिणाम समझोते में समर्थ हो। ऐसे व्यक्ति को अनुबंध करने योग्य पक्षकार कहते है।

- भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो कि संबंधित राजनियम के अनुसार व्यस्क हो, स्वस्थय मस्तिष्कि का हो तथा किसी भी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नही किया गया हो।"
इस प्रकार अनुबंध करने के लिए दोनों पक्षकार का समर्थवान होना आवश्यक है अर्थात उन्हे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(I) अव्यस्क द्वारा किया गया अनुबंध → अनुबंध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार "एक व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उसे अव्यस्क माना जाता है। किंतु यदि किसी अव्यस्क के संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो या उसका संपत्ति के निरीक्षण में तो ऐसा व्यक्ति 21 साल की आयु पुरा करने के बाद ही अव्यस्क माना जाता है।

* वैधानिक स्थिति → भारतीय राजनियम अव्यस्क को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसकी अनभिज्ञता का लाभ उठा कर उन्हे क्षति ना पहुँचा सके। भारतीय राजनियम अव्यस्क को अपने हितो की रक्षा अहम मानता है। अतः राज्यनियम विभिन्न प्रावधान समय पर समय पर उनकी रक्षा करते है। इसके संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान किये गये है जो निम्न है :-

(a) अव्यस्क प्रस्तावक हो सकता है।

(b) अव्यस्कों से किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है।

(c) एक अव्यस्क कभी भी लाभ को

वापस करने को नही कह सकता।

(d) यह आपरोध का सिद्धांत लागु नही होता।

(e) अनिवार्य आवश्यक के पूर्ति के लिए अनुबंध।

(f) अव्यस्क की संरक्षक अथवा निरीक्षक के द्वारा किया गया अनुबंध वैध होता है।

(g) अव्यस्क कभी साझेदार नही होता।

(h) वह दिवालिया घोषित नही किया जा सकता है।

(i) अव्यस्क एक रजिस्ट्रार भी हो सकता है।

(j) यदि कंपनी ~~अंश~~ अंतर्नियम में व्यक्त हो, तो वह अंशधारी बन सकता है।

(k) अव्यस्क के साथ किए गए किसी भी अनुबंध उसके माता - पिता उत्तरदायित्व नही होते।

(II) स्वस्थय मस्तिष्क वाले व्यक्ति →

से संबंधित व्यक्ति अनुबंध करते अनुबंध

समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है और साथ-ही-साथ उसमें विवेक को निर्णय लेने की क्षमता हो, तो उसे स्वस्थ मानसिक वाला व्यक्ति माना जाएगा। इस बात को और स्पष्ट करते हुए निम्न तथ्यों को दिया जा सकता है:-

(a) एक व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मानसिक कहलाता है किंतु कभी-कभी स्वस्थ मानसिक का हो जाता है। उस समय जो अनुबंध करता है वैध होता है।

(b) किंतु एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ मानसिक कहलाता है किंतु कभी-कभी अस्वस्थ मानसिक का हो जाता है तो वह उस समय अनुबंध कर सकता है जब वह स्वस्थ मानसिक का हो।

वे ~~स्वस्थ~~ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति माने जाते है जो निम्न है :—

(i) उन्मत या पागल व्यक्ति

(ii) जन्मजात मूर्ख तथा बेवकूफ व्यक्ति

(iii) घोर शराबी तथा बेसुध व्यक्ति

(iv) मानसिक कमजोरी

(iv) मोहावस्था (ऐसा व्यक्ति जो कृत्रिम निद्रा में होता है।)

III राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति

वह व्यक्ति जो किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किये गए है अनुबंध करने की क्षमता नही रखते है। इन व्यक्तियों को निम्न सिद्धी के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है जो अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार है।

(a) विदेशी सम्राट, राजदूत या प्रतिनिधि जो भारतीय न्यायलय के आधार क्षेत्र से आधारित है।

(b) उच्च पेशे वाले व्यक्ति जैसे डॉक्टर व बैरिस्टर।

(c) विदेशी शत्रु, कैदी या अपराधी।

(d) विवाहित स्त्रियाँ।

(e) सम्मीलित संस्थाएँ अथवा निगम या कपंनियाँ।

(f) भारत का राष्ट्रपति।